जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 07.04.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आगामी नगरपालिका निर्वाचन–2018 को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली–1962 के नियम 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त–9 के तहत् दिनांक 11.04.2018 से 12.04.2018 को 10 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक खूँटी थाना में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सभी प्रकार के शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति के सत्यापन हेतु अंचल अधिकारी, खूँटी एवं थाना प्रभारी, खूँटी थाना को प्रतिनियक्त एंव प्राधिकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/थाना प्रभारी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का सत्यापन विहित प्रपत्र में करेंगे। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनका शस्त्र किसी थाना/दूकान आदि में पूर्व में जमा हो तो शस्त्र जमा करने संबंधी कागजात प्रस्तुत करेंगे साथ ही वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो जमानत पर है अथवा जिनका आपराधिक इतिहास रहा हो अथवा गत चुनाव में दंगे वगैरह फैलाने से संलिप्त रहें हो उनका शस्त्र जमा करा जिया जाय। इसे थाना प्रभारी, खूँटी सुनिश्चित करेंगे। शस्त्रों के सत्यापन संबंधी संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक 14.04.2018 तक अनुज्ञप्तिधारीवार कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।